



वैतेश्वर राजपत्र

वैतेश्वर गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड ५) पाडुडाँडा, दोलखा, बागमती प्रदेश, नेपाल असार २७ गते २०७६ (संख्या १)

भाग १

आर्थिक ऐन, २०७९

(गाउँ सभाबाट पारित)

(गाउँ सभाबाट स्वीकृत मिति २०७९।०३।२५)

प्रस्तावना : वैतेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको भाग १९ धारा २३० को उपधारा (१) बमोजिम वैतेश्वर गाउँपालिकाको गाउँ सभाले यो ऐन पारित गरिएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "वैतेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९" रहेको छ।

(२) यो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गते देखि वैतेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ।

२. घरधुरी कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसुचि (१) बमोजिम घरधुरी कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

३. मालपोत (जग्गा तिरो) कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसुचि (२) बमोजिम मालपोत (जग्गा तिरो) कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

४. घर बहाल कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसुचि (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल गरिनेछ ।
५. व्यवसाय कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबार आधारमा अनुसुचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
६. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेबापत अनुसुचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
७. सवारी साधन कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसुचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
८. विज्ञापन कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसुचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
९. मनोरञ्जन कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसुचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई कानुनमा अन्य व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
१०. बहाल बिटौरी शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसुचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसुचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
११. पार्किङ शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसुचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१२. ट्राभल एजेन्सी, फनपार्क, ग्लाइडिङ, वाटर च्याफ्टीङ, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङ्ग, घोडचढी, पदयात्रा सञ्चालन शुल्क : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफलायर र च्याफ्टिङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेबापत अनुसुचि (११) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१३. सेवा शुल्क: गाउँपालिका वा वडा कार्यालयले सिफारिस गर्दा अनुसुची १२ मा उल्लिखित विषयको सिफारिसमा सोही अनुसुचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ
१४. विविध शुल्क सेवा शुल्क: गाउँपालिका भित्र अनुसुची १३ मा उल्लिखित विषयको सेवामा अनुसुचि १३ मा व्यवस्था भए अनुसार विविध शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१५. कर छुट : यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।

१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

प्रस्तावित कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा महशुलका दरहरु अनुसूचीहरुमा उल्लेख गरिएका छन् ।

अनुसूचि १

१. घरधुरी कर :

गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका प्रत्येक पक्की तथा कच्ची घरहरुमा तपशिल बमोजिमकै दरमा २०७९ श्रावण १ देखि आशिक तथा भाद्र १ देखि पुर्णरूपमा एकीकृत सम्पती कर लागु गरी कर संकलन गरिनेछ ।

| क्र.सं | घरको प्रकार | दस्तुर रु. | कैफियत |
|--------|-----------------------------|------------|--------|
| १. | कच्ची घर | ५० | |
| २. | पक्की १ तला सम्म | १०० | |
| ३. | पक्की ३ तला सम्म | १५० | |
| ४. | पक्की ४ तला वा सो भन्दा बढी | २०० | |

क- घरधुरी कर वक्यौता रहेमा ३ वर्ष सम्म १० प्रतिशतले र सो भन्दा माथि १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना सहित घरधुरी कर अशुल गरिनेछ ।)

अनुसूचि-२

२. मालपोत (जग्गा तिरो) कर:

| क्र.सं. | जग्गाको प्रकार | एकाइ | मालपोत दस्तुर(तिरो) | कैफियत |
|---------|----------------|-------------|---------------------|--------|
| १. | अब्बल | प्रति रोपनी | रु.१० (रु.दश मात्र) | |
| २. | दोयम | प्रति रोपनी | रु.९ (रु.नौ मात्र) | |
| ३. | सीम | प्रति रोपनी | रु.८ (रु.आठ मात्र) | |
| ४. | चाहार | प्रति रोपनी | रु.७ (रु.सात मात्र) | |

नोट: (क-कुनै व्यक्तिले आफ्नो खेतियोग्य जमिन बाभो रोखेमा प्रति रोपनी रु.२००(दुई सय मात्र)

जरिवाना लिइने छ ।

ख- मालपोत दस्तुर(तिरो) वक्यौता रहेमा ३ वर्ष सम्म १० प्रतिशतले र सो भन्दा माथि १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना सहित मालपोत शुल्क अशुल गरिनेछ ।)

अनुसूचि-३

३. घर बहाल कर:

क) गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक रुपमा बहालमा दिएकोमा बहाल रकमको १० प्रतिशत (संघीय ऐन अनुसार) घर बहाल कर लाग्ने छ।

अनुसूचि-४

४. व्यवसाय कर :

| क्र.सं | व्यवसायको दर्ता शुल्क | दर | | कैफियत |
|--------|--|-------|--------|--------|
| | | दर्ता | नविकरण | |
| १ | मदिरा (रक्सी जन्य) तथा सूतीजन्य व्यवसाय | | | |
| | क) थोक बिक्रेता | ५००० | २००० | |
| | ख) खुद्रा बिक्रेता | ३००० | १००० | |
| २. | इलेक्ट्रीक तथा इलेक्ट्रोनिक्स | | | |
| | क) थोक बिक्रेता | ५००० | २००० | |
| | ख) खुद्रा बिक्रेता | २००० | ५०० | |
| ३. | कपडा पसल | | | |
| | क) सुती कपडा पसल (थोक बिक्रेता) | ५००० | २००० | |
| | ख) सुती कपडा पसल (खुद्रा बिक्रेता) | १००० | ५०० | |
| | ग) फेन्सी कपडा (रेडिमेड) | १००० | ५०० | |
| ४. | गहना (ज्वेलरी) पसल | | | |
| | क) सबै खाले गहना निर्माण तथा विक्री गर्ने | ७००० | ३००० | |
| | क) स-साना गहना निर्माण तथा विक्री गर्ने | ३००० | १००० | |
| ५. | हार्डवेयर एण्ड सप्लायर्स | | | |
| | क) थोक बिक्रेता | १०००० | ३००० | |
| | ख) खुद्रा बिक्रेता | ५००० | २००० | |
| ६. | कम्प्युटर, टेलिभिजन, फोटोकपी ,विद्युत सामान, क्यामेरा, टेलिभिजन , स्टेनरी र रेडियो | | | |
| | क) थोक बिक्रेता | ४००० | १००० | |

खण्ड ५) संख्या १ वैतेश्वर राजपत्र भाग १ मिति २०७९।०३।२७

| | | | | |
|-----|--|-------|------|--|
| | ख) खुद्रा विक्रेता | २००० | ५०० | |
| ७. | पेट्रोल/ डिजेल पम्प तथा ग्याँस | | | |
| | क) पेट्रोल र डिजेल पम्प | १०००० | ३००० | |
| | ख) ग्याँस तथा मट्टितेल विक्री गर्ने | ५००० | २००० | |
| ८. | दैनिक उपभोगका खाद्य पदार्थ (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल समेत) | | | |
| | क) थोक विक्रेता | १००० | ५०० | |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | ७०० | २०० | |
| ९. | पर्यटन, व्यवसाय, आवास, होटेल, रेष्टुरा, रिसोर्ट | | | |
| | अ) ५० लाख भन्दा माथि पुँजी भएका | १५००० | ५००० | |
| | आ) २५ देखि ५० लाख सम्म पुँजी भएका | ८००० | ३००० | |
| | इ) १० देखि २५ लाख सम्म पुँजी भएका | ७००० | ३५०० | |
| | ई) ५ देखि १० सम्म लाख सम्म पुँजी भएका | ३००० | १५०० | |
| | उ) १ देखि ५ लाख सम्म पुँजी भएका | २००० | १००० | |
| | उ) १ लाख सम्म पुँजी भएका | १००० | ५०० | |
| १०. | कार्पेट एण्ड फर्निचिङ | | | |
| | क) थोक विक्रेता | ४००० | २००० | |
| | ख) खुद्रा विक्रेता | २५०० | १००० | |
| ११. | सेवा तथा उद्योग | | | |
| | क) छापाखाना (ठुला) | ५००० | २००० | |
| | ख) छापाखाना (मभौला तथा साना दशलाख भन्दा कम पुँजी भएका) | ३००० | १५०० | |
| | ग) परामर्श सेवा | २५०० | १००० | |
| | घ) चलचित्र व्यवसाय | ३००० | १५०० | |
| | ड) सार्वजनिक परिवहन | ५००० | २००० | |
| | च) फोटोग्राफी | ३००० | १५०० | |
| | छ) प्रयोगशाला | ३००० | १५०० | |
| | ज) हवाई सेवा | ५००० | २५०० | |

खण्ड ५) संख्या १ वैतेश्वर राजपत्र भाग १ मिति २०७९।०३।२७

| | | | | |
|-----|--|-------|------|--|
| | भ) शीत भण्डार | ४००० | २००० | |
| १२. | निर्माण तथा औद्योगिक सेवा | | | |
| | क) सडक, पुल, रोपवे, रेलवे, टलिवस, टनेल, फ्लाइड बृज तथा औद्योगिक, व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी संचालन गर्ने उद्योग व्यवसायमा | १०००० | ५००० | |
| १३. | विशेष परामर्श तथा अन्य व्यवसायीक सेवा | | | |
| | क) चिकित्सक | २५०० | १००० | |
| | ख) कविराज | १००० | ५०० | |
| | ग) इन्जिनियर | २००० | १००० | |
| | घ) कानून व्यवसायी | २००० | १००० | |
| | ङ) लेखा परिक्षक | २००० | १००० | |
| | च) दन्त चिकित्सक | २५०० | १५०० | |
| | छ) अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्श दाता | २५०० | १५०० | |
| | ज) कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोगामर | २५०० | १५०० | |
| | झ) बीमा एजेन्ट | २००० | १००० | |
| | ञ) सर्भेयर | २५०० | १५०० | |
| | ट) अनुवादक | २००० | १००० | |
| | ठ) पशु चिकित्सक | ३००० | १५०० | |
| | ड) शेयर दलाल | २००० | १००० | |
| | ढ) सामान ढुवानी कर्ता तथा कम्पनी | २००० | १००० | |
| | ण) संस्थागत पेन्टर | ५००० | २५०० | |
| १४. | सवारी साधन बिक्री केन्द्र | | | |
| | क) सवारी साधन विक्रेता | १०००० | ५००० | |
| १५. | उत्पादन मूलक उद्योग | | | |
| | क) कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गर्इरहेको माल सामानको वा अन्य माल सामान | ५००० | २५०० | |

| | | | | |
|-----|---|---------|------|--|
| | प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग | | | |
| १६. | कृषि तथा वन्यजन्य उद्योग | | | |
| | क) वन पैदावारमा आधारित उद्योग (उत्पादन गर्ने) | १०००० | ५००० | |
| | ख) वन पैदावारमा आधारित व्यवसायमा | ५००० | २५०० | |
| | ग) कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायमा | ३००० | १५०० | |
| | घ) कृषक समुह | ५०० | २०० | |
| | ङ) रासायनिक मल विक्रेता दर्ता प्रमाणपत्र दस्तुर | २००० | ५०० | |
| | च) कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय | ५०० | २०० | |
| १७. | गाउँपालिकाको कार्यालयबाट दर्ता भएका निर्माण व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण | | | |
| | क) घ वर्गको व्यवसायीको इजाजत पत्र प्रदान | ४००० | ३००० | |
| | ग) घ वर्गको व्यवसायीको इजाजत पत्रको प्रतिलिपि | रु.५०० | | |
| | घ) घ वर्गको व्यवसायीको इजाजत पत्रको नविकरण(म्याद नाघेको) दस्तुर | रु.३००० | | |
| | खनिज उद्योग | | | |
| | क) खनिज उत्खन वा प्रशोधन गर्ने उद्योग व्यवसायमा | १०००० | ५००० | |
| १८. | उर्जा मूलक उद्योग | | | |
| | क) जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्याँस, बायोग्यास, अन्य श्रोतहरुबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग व्यवसायमा | ५००० | ५०० | |
| १९. | स्वास्थ्य सेवा | | | |
| | क) गैर सरकारी अस्पताल | ७००० | ३००० | |
| | ख) नर्सिङ होम | ६००० | ३००० | |
| | ग) क्लिनिक तथा ल्याब | ५००० | २५०० | |

| | | | | |
|-----|---|-------|------|--|
| २०. | सञ्चार सेवा | | | |
| | क) निजी क्षेत्रको हुलाक सेवा | १५०० | ५०० | |
| | ख) निजी क्षेत्रका टेलिफोन, फ्याक्स, फोटोकपी, मोबाइल फोन, STD, ISTD इमेल, इन्टरनेट, रेडियो पेजिड आदि | २००० | १००० | |
| | ग) कुरियर सेवा | १५०० | ५०० | |
| २१. | शिक्षा सेवा | | | |
| | क) निजी क्षेत्रका स्कूल, क्याम्पस, विश्वविद्यालय | ५००० | २५०० | |
| | ख) तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र | ३००० | १५०० | |
| | ग) टाइपिङ, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था | ३००० | १५०० | |
| | घ) गैह्रसरकारी संस्था (प्रत्येक आ.ब.)मा | १०००० | ५००० | |
| २२. | मर्मत सम्भार | | | |
| | क) हेवी इक्विपमेन्ट्स बस, ट्रक, कार, मोटर साइकल, टेम्पो, साइकल आदि मर्मत कारखाना | ५००० | २५०० | |
| | ख) रेडियो, टि.भि., घडी, प्रेशर कुकर, हिटर, टेलिफोन सेट, विद्युत सामग्री मर्मत केन्द्र | ३००० | १५०० | |
| २३. | वित्तीय सेवा | | | |
| | क) नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको बाहेक आर्थिक कारोवार गर्ने वाणिज्य बैंक | १५००० | ५००० | |
| | ख) आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तीय कम्पनीको मुख्य कार्यालय | १०००० | ५००० | |
| | ग) वित्तीय कम्पनीको शाखा कार्यालय | ३००० | १५०० | |
| | घ) बीमा कम्पनी | १०००० | ५००० | |
| | ङ) विदेशी मुद्रा सटही | ३००० | १५०० | |
| | च) धितोपत्र कारोवार | ३००० | १५०० | |
| | ज) माइक्रोफाइन्न्स प्रत्येक आ.ब मा सुचिकृत गर्नुपर्ने | ५००० | २५०० | |

खण्ड ५) संख्या १ वैतेश्वर राजपत्र भाग १ मिति २०७९।०३।२७

| | | | | |
|-----|---|-------|-------|--|
| | ज) माइक्रोफाइनन्स प्रत्येक आ.ब मा नवकिरण | २००० | १००० | |
| | ञ) पार्क पिकनिक स्पोर्ट | १००० | ५०० | |
| | ट) क्यासिनो | ५०००० | १०००० | |
| | ठ) टुर अपरेटर | ४००० | २००० | |
| | ड) मसाज पार्लर | ५००० | २५०० | |
| २४. | अन्य सेवा | | | |
| | क) विज्ञापन सेवा | १५०० | ५०० | |
| | ख) वैदेशिक रोजगार सेवा | ५००० | २००० | |
| | ग) स्वदेशी रोजगार सेवा | १५०० | ५०० | |
| | घ) सेक्रेटरियल सेवा | १५०० | ५०० | |
| | ङ) हाउजिङ्ग कम्पनी तथा घरजग्गा खरिद बिक्री | ५००० | २००० | |
| | च) ब्यूटी पार्लर, केश सिंगार, ड्राई क्लिनर्स, फोटो स्टुडियो, सिलाई सेन्टर आदि | २००० | १००० | |
| | छ) साइन बोर्ड बनाउने पेन्टिङ्ग सेवा | २००० | १००० | |
| | ज) पशु वधशाला | ३००० | १५०० | |
| | झ) मासु बिक्रेता | २००० | १००० | |
| | ञ) फुल र विरुवा बिक्रेता | १००० | ५०० | |
| | ट) पुल हाउस | १००० | ५०० | |
| | ठ) खोटो व्यवसायी | २००० | १००० | |
| | ड) सिसा प्लाइउड बिक्रेता | ४००० | २००० | |
| | ढ) भाँडाकुँडा बिक्रेता | २००० | १००० | |
| | ण) स्टिल, काठ, फर्निचर बिक्रेता | २००० | १००० | |
| | त) खेलौना, उपहार (गिफ्ट) बिक्रेता | १००० | ५०० | |
| | थ) केबुल नेटवर्किङ (ग्राहक संख्याको आधारमा): | | | |
| | तीनसय सम्म ग्राहक संख्या भएमा | १५००० | ५००० | |
| | तीन सय भन्दा बढी ग्राहक भएमा | २०००० | १०००० | |
| | क) सहकारी दर्ता | ५००० | | |

| | | |
|--|------|--|
| ख) सहकारी नविकरण आय व्ययको आधारमा (१ करोड सम्म) | २००० | |
| सो भन्दा माथि प्रति करोड रु.५०० का दरले थप हुने | | |
| ग) सहकारी एकीकरण, नाम परिवर्तन तथा उद्देश्य संशोधन(विधान संशोधन) | ५००० | |

व्यवसाय दर्ता गर्नको लागि आवश्यक कागजात सहित वडा कार्यालयको अनिवार्य सिफारिस लिइ व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र लिनको लागि गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने छ ।

| | | | |
|-----|----------------------------|------|-----|
| २५. | साना तथा एकल व्यवसाय | | |
| | क) माछा तथा मासु पसल दर्ता | १००० | ५०० |
| | ख) सिलाई तथा बुनाई दर्ता | १००० | ५०० |

क) माथी उल्लेख भएको व्यवसायहरूमा सोही अनुसार र नभएको हकमा राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी कर निर्धारण गरिने छ ।

ख) कुनै एक व्यवसायको इजाजत लिई अन्य व्यवसाय समेत थप गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको हकमा माथि उल्लेखित दरको प्रत्येक व्यवसायमा ५० % ले हुने रकम थप व्यवसाय कर लिने ।

ग) चालु आ.व. भित्र असुल नभई अर्को आ.व. भित्र असुल गर्दा ३०% प्रतिशत थप विलम्ब शुल्क सहित असुल गरिनेछ । चालु आ.व. अगावै कुनै लाग्ने शुल्क वा कर अग्रिम भुक्तानी गरेमा ५ प्रतिशत छुट दिने ।

अनुसूचि-५

५. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु सम्बन्धि कर :

क) जडिबुटी, नेपाली कागज, काठ, दाउरा, बाँस र अन्य बस्तुको निकासी करको दर :

ख) प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकको

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|------------------|------|-------------------|--------|
| १ | मजिठो | केजी | १.५० | |
| २ | ओखरफलको बोक्रा | केजी | १.५० | |
| ३ | ओखर काण्ड बोक्रा | केजी | १०.०० | |
| ४ | चिराइतो | केजी | २.५० | |
| ५ | चुत्रोको बोक्रा | केजी | १.२५ | |
| ६ | कुरिलाको जरा | केजी | १.५० | |
| ७ | सुगन्धवाल | केजी | ४.०० | |

खण्ड ५) संख्या १ वैतेश्वर राजपत्र भाग १ मिति २०७९।०३।२७

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---------|---------|--|
| ८ | अल्लो | केजी | २.०० | |
| ९ | भ्याउ | केजी | ७.०० | |
| १० | अर्गेली | केजी | ३.२५ | |
| ११ | पाखनवेत | केजी | २.०० | |
| १२ | लोक्ता | केजी | ६.०० | |
| १३ | ठिग्रें सल्लाको सिम्टा | केजी | २१.०० | |
| १४ | धसिंगरेतेल | केजी | २०.०० | |
| १५ | अम्रिसो | केजी | १.०० | |
| १६ | जटामसी | केजी | ३.०० | |
| १७ | तेजपात | केजी | ०.२० | |
| १८ | गोब्रे सल्लाको सिम्टा | केजी | ०.३० | |
| १९ | खोल्मे | केजी | ०.३० | |
| २० | नागबेली पाउडर | केजी | १५.५० | |
| २१ | खोटो | केजी | २.०० | |
| २२ | गोब्रे सल्लाको पातको तेल | केजी | ३०.०० | |
| २३ | भिरमह | केजी | ५.०० | |
| २४ | सतुवा | केजी | ११.०० | |
| २५ | धुपीपात | केजी | १.०० | |
| २६ | नागबेली | केजी | ०.५० | |
| २७ | काउलोको बोक्रा | केजी | ३.०० | |
| २८ | सुगन्धित तेल | केजी | ५०.०० | |
| २९ | साधारण च्याउ | केजी | २.०० | |
| ३० | इन्द्रेयिनी | केजी | २.०० | |
| ३१ | नेपाली कागज | कोरी | ७.०० | |
| ३२ | सल्लो बरामदी काठ (गोलिया) | क्यु.फि | ५.०० | |
| ३३ | उत्तिस अन्य बरामदी काठ(गोलिया) | क्यु.फि | ४.०० | |
| ३४ | सल्लो बरामदी काठ (चिरान) | क्यु.फि | १०.०० | |
| ३५ | उत्तिस अन्य बरामदी काठ(चिरान) | क्यु.फि | ७.०० | |
| ३६ | निकासी हुने सल्लोको काठ(गोलिया) | क्यु.फि | ३.०० | |
| ३७ | निकासी हुने उत्तिस अन्य काठ (गोलिया) | क्यु.फि | २.०० | |
| ३८ | निकासी हुने सल्लो चिरान काठ | क्यु.फि | ५.०० | |
| ३९ | निकासी हुने उत्तिस अन्य चिरान काठ | क्यु.फि | ३.०० | |
| ४० | भेनियर पत्ता (ट्याक्टर) | ट्रिप | ५००.०० | |
| ४१ | भेनियर पत्ता (मिनी ट्रक) | ट्रिप | १२००.०० | |
| ४२ | भेनियर पत्ता (ट्रक) | ट्रिप | १५००.०० | |

खण्ड ५) संख्या १ वैतेश्वर राजपत्र भाग १ मिति २०७९।०३।२७

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------|---------|--|
| ४३ | भेनियर पत्ता (भ्यान ट्रक) | ट्रिप | १७००.०० | |
| ४४ | तयारी प्लाइउड (ट्याक्टर) | ट्रिप | ३००० | |
| ४५ | तयारी प्लाइउड (मिनी ट्रक) | ट्रिप | ४००० | |
| ४६ | तयारी प्लाइउड (ट्रक) | ट्रिप | ५००० | |
| ४७ | तयारी प्लाइउड (भ्यान ट्रक) | ट्रिप | ६००० | |
| ४८ | दाउरा (ट्याक्टर) | ट्रिप | २५.०० | |
| ४९ | दाउरा (मिनी ट्रक) | ट्रिप | ५०.०० | |
| ५० | दाउरा (ट्रक) | ट्रिप | १००.०० | |
| ५१ | दाउरा (भ्यान ट्रक) | ट्रिप | १५०.०० | |
| ५२ | काठको भुस (ट्याक्टर) | ट्रिप | ६०० | |
| ५३ | काठको भुस (मिनी ट्रक) | ट्रिप | १००० | |
| ५४ | काठको भुस (भ्यान ट्रक) | ट्रिप | १२०० | |
| ५५ | बाँस | गोटा | ०.५० | |
| ५६ | बन लसुन | केजी | १.०० | |
| ५७ | हाडे लसुन | केजी | ०.२५ | |
| ५८ | कुरीलो | केजी | १.२५ | |
| ५९ | कोइला | केजी | ५.०० | |
| ६० | बुकीफुल | केजी | २.०० | |
| ६१ | अविजालो | केजी | ५.०० | |
| ६२ | निगालो | गोटा | ०.२५ | |
| ६३ | अलैची | केजी | १ | |
| ६४ | यासागुम्बा | केजी | १५०० | |
| ६५ | लोठ सल्लाको पात | केजी | ५.०० | |
| ६६ | सुठो | केजी | १.०० | |
| ६७ | लप्सी | केजी | ०.५० | |
| कवाडीजन्य सामाग्री | | | | |
| ६८ | धातुका टुकाहरु र फलामजन्य सामाग्रीहरु | प्रति के.जी | २.०० | |
| ६९ | सिसाको बोतल | प्रति गोटा | ०.२५ | |
| ७० | मदिरा र अन्य पेय पदार्थका खाली सिसी र सिसाको बोतल | प्रति गोटा | ०.१५ | |
| ७१ | प्लाष्टिक(बोतल, भाडाँकुँडा, पुराना जुत्ता, चप्पल, ग्यालन र जर्किन आदि | प्रति के.जी | १.५० | |

| खाली बोरा | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|------|--|
| ७१ | १) ५० केजीसम्म खाद्यान्न अँटने प्लाष्टिकको बोरा | प्रति गोटा | १.५० | |
| ७२ | २) ५० केजीसम्म खाद्यान्न अँटने जुटको बोरा | प्रति गोटा | ०.२५ | |
| ७३ | १) १०० केजीसम्म खाद्यान्न अँटने प्लाष्टिकका बोरा | प्रति गोटा | १.०० | |
| ७४ | २) १०० केजीसम्म खाद्यान्न अँटने जुटको बोरा | प्रति गोटा | १.५० | |
| तेलको टिन | | | | |
| ७६ | १) १० लिटरभन्दा बढी अँटने | प्रति गोटा | ०.५० | |
| ७७ | २) १० लिटरभन्दा कम अँटने | प्रति गोटा | १.०० | |
| पुन प्रशोधन हुन सक्ने कवाडो | | | | |
| १ | कार्पेटको टुक्रा | प्रति के.जी | ०.१५ | |
| २ | टायरट्युब | प्रति के.जी | १.०० | |
| ३ | थोत्रो टिन | प्रति के.जी | ०.५० | |
| ४ | पुरानो डम | प्रति के.जी | ०.५० | |
| ५ | पुरानो कागज प्रति के.जी | | | |
| ६ | अन्य कागज(कार्टुन समेत) | प्रति के.जी | १.०० | |
| ७ | थोत्रिएर काम नलाग्ने मेशीनरी औजार | प्रति के.जी | २.०० | |
| ८ | पोलिथिन पाईपका टुक्रा | प्रति के.जी | १.०० | |
| ९ | सिसा(लीड)को धुलो वा टुक्रा | प्रति के.जी | २.०० | |
| १० | वैतेश्वर गाउँपालिका भित्र उत्पादन भै निकासी हुने माथि उल्लेखित बाहेक अन्य बस्तुहरुको हकमा गाउँपालिको निर्णय बमोजिम हुनेछ । | | | |

ख) प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकको मरेका वा मारिएका पञ्छीको प्वाँख र पशुको हाड,छाला,सिङ्ग र खुर निकासी करको दर :

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|--------|-------|-------------------|--------|
| १ | प्वाँख | के.जी | १.५० | |
| २ | हाड | के.जी | १.५० | |

| | | | | |
|---|-----------|-------|-------|--|
| ३ | सिङ्ग | के.जी | १.५० | |
| ४ | खुर | के.जी | १.५० | |
| ५ | छाला ठुलो | गोटा | ३०.०० | |
| ६ | छाला सानो | गोटा | १५.०० | |

ग) कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको निकासी करको दर :

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|--|-------|-------------------|--------|
| १ | भैसी जात (भैसी,राँगा आदि) | गोटा | १०० | |
| २ | गाई जात -गाई,गोरु आदि) | गोटा | ५० | |
| ३ | भेडा,बाखा,बंगुर जात(भेडा,बाखा,बंगुर आदि) | गोटा | ० | |
| ४ | कुखुरा/कुखुराको जात | ट्रिप | १०० | |
| ५ | अण्डा (सात केट बराबर एक बाकस) | बाकस | ५ | |
| ६ | गोलभेडा,काउली,आलु,(ठुलो ट्रक) | ट्रिप | ५०० | |
| ७ | गोलभेडा,काउली,आलु,(मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | २०० | |
| ८ | बन्दा,साग(ठुलो ट्रक) | ट्रिप | २०० | |
| ९ | बन्दा,साग(मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | १०० | |
| १० | लसुन,वेसार,अदुवा,(ठुलो ट्रक) | ट्रिप | ७०० | |
| ११ | लसुन,वेसार,अदुवा,(मिनी ट्रक/टयाक्टर) | ट्रिप | ३०० | |

अनुसूचि-६

६. सवारी कर :

केन्द्र वा प्रदेशमा सवारी साधन दर्ता तथा अनुमति लिएका सबै प्रकारका सवारी साधनहरू वैतेश्वर गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संघ संस्था दर्ता गरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दा गाउँपालिकामा अनिवार्य अभिलेखिकरण गरी सञ्चालन को अनुमति लिनु पर्नेछ । गाउँपालिकाबाट अनुमति लिएका सवारी साधनले निम्नानुसार वाषिक शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

| क्र.सं | विवरण | दर | कैफियत |
|--------|---------------------------------------|------|--------|
| १. | बस, टक, लरी र अन्य हेभी गाडी | १००० | |
| २. | भाडाका ट्रयाक्टर कार जीप | ३०० | |
| ३. | भाडाको टेम्पो | १०० | |
| ४. | भाडाको मिनिवस | ७०० | |
| ५. | नीजि कार, टेम्पो र मिनीवस | २०० | |
| ६. | स्कुटर, मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी साधन | १०० | |
| ७. | ठेलागाडा तथा रिक्सा | २५ | |

गाउँपालिकामा दर्ता नभएका कुनैपनि सवारी साधनको दुर्घटना, बीमा वा अन्य किसिमको सिफारिश लिँदा माथि उल्लेखित सवारी साधन दर्ता शुल्कको दोब्बर शुल्क लिई सिफारिश प्रदान गरिनेछ ।

अनुसूचि-७

विज्ञापन कर:

७) होडिड बोर्ड सेवा शुल्क निम्नानुसार लगाईने छ :

- क) आ.व. ०७९/०८० सम्म प्रतिवर्ग फिट रु १०/- र सो आ.व. भन्दा पछि प्रति वर्ग फिट रु. ५०/-
- ख) अन्य वस्तुको विज्ञापनमा प्रति वर्ग फिट रु. ५०/-
- ग) सार्वजनिक स्थानमा व्यानर टाँगेमा प्रति मिटर ७ दिन सम्म रु ७/- सो पछि प्रतिदिन थप रु. ५/-
- घ) १ मीटर र १ वर्ग फिट सम्मको विज्ञापन १ महिना सम्मको प्रतिदिन रु १/- र सो भन्दा वढि राख्नु परेमा प्रतिदिन रु. २/-

- ड) आफ्नो व्यवसाय परिचयको लागि १५ स्क्वायर फिट सम्म १ थान बोर्ड व्यवसायीले आफ्नो पसल वा व्यवसाय रहेको भित्ता पर्खाल वा अगाडिको भागमा राख्न पाउने छन् र १ भन्दा धेरै बोर्ड राख्नु परेमा माथिको दररेटमा सम्बन्धित व्यवसायीले विज्ञापन कर वापत बुझाउनु पर्ने छ ।

अनुसूचि-८

८. मनोरञ्जन कर :

- क) सिनेमाहल वा भिडियो हलहरुमा प्रवेश शुल्कको ३ % का दरले मनोरञ्जन कर असुल गरिनेछ । चालु आ.व. भित्र असुल नभए अर्को वर्ष ५ % थप गरी असुल गरिनेछ ।
- ख) जादु, सर्कस, चटक आदिमा अनुमति बिना प्रदर्शन गर्न नदिने । अनुमति दिँदा प्रतिदिनको रु. ५००/- शुल्क लिइनेछ ।

अनुसूचि-९

बहाल विरौटी शुल्क

- ९) गाउँपालिका क्षेत्रभित्रमा निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार र सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटो छेउमा अस्थायी पसल वा व्यवसाय गर्न दिए वापत प्रति वर्गफिट मासिक रु. ५/- बहाल विरौटी कर असुल गरिने छ ।

अनुसूचि-१०

१०. पार्किङ शुल्क :

- क) मोटरसाईकलको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु ५/- र सो भन्दा बढिको लागि रु १० /-
- ख) हलुका सवारी साधनको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु. १०/- र सो भन्दा बढिको लागि रु. २०/-
- ग) ट्रयाक्टरको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु. १५/- र सो भन्दा बढिको लागि रु. २५/-
- घ) हेभि सवारी साधनको लागि पहिलो २ घण्टाको लागि रु २५/- र सो भन्दा बढिको लागि रु. ४०/-

अनुसूचि-११

११. गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्राभल एजेन्सी, फनपार्क, ग्लाइडिङ, वाटर ज्याफ्टीङ, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङ्ग, पदयात्रा, घोडचढी आदि जस्ता व्यवसाय सञ्चालनमा तपशिल बमोजिम वार्षिक शुल्क लाग्नेछ ।

| ट्राभल्स, टुर्स एण्ड मनोरञ्जन | दर |
|---|-------|
| क) ट्राभल एजेन्सी, ग्लाइडिङ, वाटर ज्याफ्टीङ, ट्रेकिङ, , आदि जस्ता व्यवसायमा | १०००० |
| ख) फनपार्क, पदयात्रा, घोडचढी आदि | ७५०० |

अनुसूची-१२

सेवा शुल्क

१२. अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सेवा शुल्क :

- क) सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा श्रोत प्रमाणित प्रतिहजार रु. ०.५०/-
 ख) गाउँ कार्यपालिका बाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार हुनेछ ।

१३. विभिन्न प्रकारका सिफारिस दस्तुर :

- क) जग्गा दर्ता सिफारिस निवेदन फाराम र निवेदन दर्ता दस्तुर समेत
 अ. एकमुष्ट रु. १०००/-
 ख) जग्गा नामसारी सिफारिस निवेदन दर्ता र निवेदन फाराम समेत
 अ. एकमुष्ट रु. ५००/-
 ग) मोही दर्ता तथा मोही नामसारी सिफारिस निवेदन दर्ता र निवेदन फाराम समेत रु.
 अ. एकमुष्ट रु. ५००/-

१४. विभिन्न प्रकारका व्यवसाय, घरेलु उद्योग दर्ता तथा सिफारिस निवेदन दर्ता :

- १) साना घरेलु उद्योग रु. १०००/- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)
 २) मझौला उद्योग रु. १५००/- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)
 ३) ठुला उद्योग (चिरान मिल, फर्निचर उद्योग) रु. २०००/- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)
 ४) अन्य सेवा उद्योग तथा व्यवसाय सम्बन्धी सिफारिस रु. ११०००/- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)

- ५) डिलर लिने सिफारिस रु. ५०००/- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)
- ६) माथी नखुलेका उद्योग व्यवसायका सिफारिसको हकमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयानुसार हुनेछ।
- ७) नागरिकता लिनका लागी सिफारिस रु. १००/- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)
- ८) नागरिकताको प्रतिलिपी लिन सिफारिस रु. १५०/- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता समेत)
- ९) अंगिकृत नागरिकता सिफारिस रु. १,०००/- (अनुसूची फाराम निवेदन दर्ता बाहेक)
- १०) धारा, बिजुली जडान सिफारिस रु. ५००/- (निवेदन फाराम र निवेदन दर्ता समेत)
- ११) प्रतिलिपी प्रमाणित दस्तुर रु. २०/- प्रति पाना
- १२) चार किल्ला प्रमाणित १ कित्ता सम्म रु. २००/- र सो भन्दा माथि प्रति कित्ता थप रु १००/-
- १३) घरबाटो भए नभएको प्रमाणित गर्दा ग्रामिण क्षेत्रमा रु. ५००/- (निवेदन फाराम र निवेदन दर्ता समेत)
- १४) घरबाटो भए नभएको प्रमाणित गर्दा (बजार क्षेत्र) रु. ७००/- (निवेदन फाराम र निवेदन दर्ता समेत)
- १५) एकिकृत सम्पत्ति कर रसिदको प्रतिलिपी रु. ५०/-
- १६) अन्य कागजातको प्रतिलिपी दस्तुर रु. ५०/- प्रति पाना
- १७) घर जग्गा फिल्ड नापजाँच / फिल्ड रेखांकन/सर्जमिन ५ रोपनी सम्म रु. १,०००/-
- १८) घर जग्गा फिल्ड नापजाँच / फिल्ड रेखांकन/सर्जमिन १० रोपनी सम्म रु. २,०००/-
- १९) घर जग्गा फिल्ड नापजाँच / फिल्ड रेखांकन/सर्जमिन १० रोपनी भन्दा माथी रु. ५,०००/-
- २०) सञ्चार टावर स्वीकृति सिफारिस रु. १०,००० /-
- २१) अस्थाई प्रकृतिको निर्माण स्वीकृति निवेदन फाराम (ग्रामिण क्षेत्रका लागि) रु.१००/- प्रतिगोटा
- २२) अस्थाई प्रकृतिको निर्माण स्वीकृति निवेदन फाराम (बजार क्षेत्रका लागि) रु.२००/- प्रतिगोटा
- २३) नाता प्रमाणित रु.२००/-
- २४) नाता सम्बन्ध प्रमाणित रु. २००/-
- २५) अंग्रेजीबाट गरिने जुनसुकै प्रकारका सिफारिसको प्रति सिफारिस रु. २५०/-
(जन्म प्रमाणित, विवाह प्रमाणित, कर चुक्ता आदि)
- २६) नाबालक परिचय पत्र दस्तुर र.१००।-
- २७) निजी स्तरका विद्यालय स्थापना तथा तहवृद्धि सम्बन्धी सिफारिस गर्दा माध्यमिक विद्यालयको लागी रु. ५,०००/- र आधारभूत तहको लागी रु. १,०००।-

- २८) सामुदायिक/सरकारी विद्यालयको तहवृद्धि सम्बन्धी सिफारिस रु.५००/-
 २९) गाउँपालिकाको स्वामित्व रहेका पिच सडक काटने स्वीकृत रु. ५,०००/-
 ३०) सामाजिक संघ संस्था दर्ता शुल्क रु.२०००।
 ३१) सामाजिक संघ संस्था नविकरण शुल्क रु.१०००।
 ३२) उपभोक्ता समिति दर्ता शुल्क रु. ५००
 ३३) उपभोक्ता समिति नविकरण शुल्क रु. २००
 ३४) माथि अनुसुचि १२ को ११ अनुसार घटना दर्ता ३५ दिनभित्रमा दर्ता गरेमा शुल्क नलाग्ने र सो भन्दा पछि दर्ता गरेमा थप दस्तुर १०० प्रतिशत लाग्ने छ।

१५. माथि उल्लेखित बाहेक बैतेश्वर गाउँपालिकाको दर्ता, नविकरण तथा सिफारिस दस्तुरको दर :

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|---|---------|-------------------|--------|
| १ | गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | २००० | |
| २ | रु.१ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्ने को लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | ५०० | |
| ३ | रु. १ लाख देखी रु.५ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | ७०० | |
| ४ | रु.५ लाख देखी रु. १० लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| ५ | रु.१० लाख आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर | सिफारिस | १५०० | |
| ६ | रु.१० लाख भन्दा माथी आर्थिक कारोबार प्रतिलाख थप नविकरण दस्तुर | सिफारिस | २५ | |
| ७ | प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष दस्तुर : गैरसरकारी संस्थाहरुको कारोबार(प्राप्ती) अडको ०.१ प्रतिशत वा न्युनतम रु.२०/-मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बराबरको दस्तुर | | | |
| ८ | खानेपानी मुहान दर्ता दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| ९ | सिंचाई मुहान दर्ता दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| १० | खानेपानी र सिंचाई उपभोक्ता समिति नविकरण | सिफारिस | ५०० | |
| ११ | व्यक्तिगत घटना दर्ता(पंजीकरण) त्रुटी/गल्ती सच्याउने/सच्याउन सिफारिस गर्ने दस्तुर | सिफारिस | १०० | |
| १२ | विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सिफारिस वापत प्रति सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | २०० | |
| १३ | विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको | सिफारिस | १००० | |

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|--|---------|-------------------|--------|
| | लागि विभिन्न विदेशी निकायहरु तथा दात्रु निकायहरुमा सिफारिस दस्तुर | | | |
| १४ | कुनै विज्ञ/पेशागत कार्य/अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न अनुमति वा सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| १५ | लघु जलविद्युत आयोजना(१ मेघावट भन्दा कम) को सर्वेक्षण अनुमती/सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १००० | |
| १६ | लघु जलविद्युत आयोजना(१ मेघावट भन्दा कम) को निर्माण अनुमती/सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | १०००० | |
| १७ | जलविद्युत आयोजना १० मेघावट भन्दा माथि सर्वेक्षण अनुमती सिफारिस दस्तुर | सिफारिस | ५०० | |

१६) फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क (मासिक) निम्नानुसार लगाईने छ :

- क) आवासीय घर ३ तल्ला सम्म रु. ५०/-
- ख) ४ तल्ला वा सो भन्दा माथि रु. १००/-
- ग) पसल सटर भए प्रति पसल थप रु. १००/-
- घ) सामान्य प्रकृतिका होटल, रेष्टुरेन्ट थप रु. १५० /-
- ङ) ठुला प्रकृतिका होटल लज रु. ५००/-
- च) हस्पिटल रु. १,५००/-
- छ) अन्य संघ संस्था रु. ५००/-
- ज) अन्यको हकमा तथा सेवा शुल्क निर्धारणमा कठिनाई उत्पन्न भएमा व्यवसायको प्रकृति हेरी गाउँपालिकाको निर्णय वमोजिम हुनेछ ।

१७. वादविवाद (मुद्धा) सम्बन्धी निवेदन दर्ता रु. १००/-

१८. नक्शापास गर्ने आवेदन पुस्तिका रु. १,०००/- प्रतिगोटा (विपत व्यवस्थापन शुल्क रु. ५०/- (बजार क्षेत्र) रु. २०/- (ग्रामीण क्षेत्र) थप गर्ने ।

१९. घर नक्शा पास तथा निर्माण स्वीकृति दस्तुर:

क) बजार क्षेत्रमा

१) घर निर्माण अनुमति लिन आवश्यक कागजात सहित रु. ५००/- शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

२) नक्शा

पास गर्दा आर.सी.सी. ढलान घर प्रतिवर्गफिट ३ तल्ला सम्म पीच भएको क्षेत्रमा रु. ३/-

पीच नभएको क्षेत्रमा रु. २/-, ४ चार तल्ला देखि ५ तल्ला सम्म पीच भएको क्षेत्रमा रु.

५/- पीच नभएको क्षेत्रमा रु. ३/- र सो भन्दा माथि पीच भएको क्षेत्रमा रु. ६/-, पीच नभएको क्षेत्रमा रु. ४/- प्रतिवर्गफिटका दरले । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने छ ।

- २) आर.सी.सी. बाहेक पक्की घर प्रतिवर्ग फिट रु पीच भएको क्षेत्रमा रु. २/- पीच नभएको क्षेत्रमा रु. रु. १/- । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने छ ।
- ३) फुसको (टिन) छाना भएको घर प्रतिवर्ग फिट पीच भएको क्षेत्रमा रु. १/- पीच नभएको क्षेत्रमा रु. ०.५०/- । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने छ ।

ख) ग्रामिण क्षेत्रमा (तीन तल्ला सम्मका लागि मात्र)

- १) आर.सी.सी ढलान घर प्रतिवर्ग फिट सडक बाटो भएको क्षेत्रमा रु. १/५० सडक बाटो नभएको क्षेत्रमा ०.७५/- । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा ५० % थप दस्तुर लाग्ने छ ।
- २) आर.सी.सी. बाहेकका पक्की घर प्रतिवर्ग फिट सडक बाटो भएको क्षेत्रमा रु ०.५०/- सडक बाटो नभएको क्षेत्रमा रु ०.२५/- । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने छ ।
- ४) ग्रामिण क्षेत्रमा ३ तल्ला भन्दा माथि निर्माण भए बजार क्षेत्र बराबर हुनेछ ।
- ग) गाउँपालिका गठन हुनु अगाडि निर्माण भएका घरहरूका घरधनीले घर दर्ता गरी निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाण कागजात खोजेमा हाल कायम रहेको नक्सापास दस्तुरको ७५ प्रतिशत दस्तुर लिई प्रमाण कागजात उपलब्ध गराईने छ । गाउँपालिका गठन हुनु अगाडि गाविसको कार्यालयबाट नक्शा पास भएका घरहरू गाउँपालिकाले पास गरे सरह हुनेछ ।
- घ) नक्शा पास/निर्माण सम्पन्न भएका घरहरूको नामसारी गर्नु पर्दा हाल कायम रहेको नक्सापास दस्तुरको १० प्रतिशत वा न्यूनतम मुल्य रु. १,०००/- मध्ये जुन बढी हुन आउँछ सोहि अनुसारको दस्तुर लिई नामसारी गरिने छ ।
- ड) नक्शापास प्रमाण-पत्र र घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी दस्तुर रु. ५००/- लिई प्रतिलिपी सरोकारवालालाई दिईने छ । **Planth level** भन्दा माथि **Super structure** को नक्शा पास गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र तोकिएको समयमा नलिएमा बिलम्ब दस्तुर

रु ३,०००/- वा लाग्ने राजश्वको २५ प्रतिशत मध्ये जुन वढि हुन्छ सो वरावरको थप दस्तुर लिई निर्माण सम्पन्न पत्र प्रदान गरिने छ ।

च) घर निर्माणको लागि नक्सा पास गरे बमोजिम भन्दा फरक संरचना बनाएमा १०० प्रतिशत जरीवाना लिइने छ ।

छ) घर निर्माणको लागि नक्सा पास गरे पनि २ वर्ष सम्म विविध कारणले घर निर्माण नगरेमा नक्सा पास शुल्क फिर्ता हुने छैन र सो अवधि पछि पुनः अनुमति तथा नक्सा पास लिनु पर्नेछ ।

अनुसूची-१३

२०. विविध

१. अन्य सेवा शुल्कको दर :

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | दर रु. | कैफियत |
|---------|-----------------------------|-------|--------|--------|
| ५ | सभाहल भाडा | दिन | १५०० | |
| - | पानी - कारखानाबाट उत्पादित) | लिट्र | ०.१० | |

२. बालुवा, गिट्टी, रोडा, ढुंगा बिक्री दर (दत्तर बहत्तर शुल्क)

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|---|---------|-------------------|--------------|
| १ | बालुवा, गिट्टी, रोडा, ढुंगा, ग्राभेल तथा लोहोरे ढुंगा र आन्तरीक बिक्री एवं घाटगढि (स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेक) | घन मिटर | १४० | मु.अ.क.बाहेक |
| २ | ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल र रोडा जिल्ला बाहिर निकासी कर । | घन मिटर | १७७ | |
| ३ | माटो आन्तरीक बिक्री एवं घाटगढि (स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेक) | | ३५ | |
| ४ | माटो जिल्ला बाहिर निकासी कर | | ७० | |
| ५ | खानीजन्य उद्योगबाट निकासी हुने वस्तुमा निकासी कर मात्र लगाइनेछ । | | | |

नोट: प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७६ को बुदाँ ८ को दहत्तर बहत्तर शुल्क अनुसुचि ५ बमोजिम ।

३. खानी जन्य पदार्थ निकासी करको दर :

| क्र.स. | विवरण | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|---|------------------------------------|-------------------|--------|
| १ | खरिदुङ्गा | मेट्रिक टन | ६०.०० | |
| २ | म्याग्नेसाइट दुङ्गा | मेट्रिक टन | ५०.०० | |
| ३ | भुइमा विछ्याउने चप्लेटी दुङ्गा | वर्ग फिट | २.०० | |
| ४ | छाना छाउने स्लेट दुङ्गा | वर्ग फिट | २.०० | |
| ५ | बालुवा, गिट्टी, रोडा, दुङ्गा, ग्राभेल तथा लोहोरे दुङ्गा | घन मिटर | १४५.०० | |
| ६ | चुन तथा कमेरो | प्रति ट्रक तथा भ्यान (प्रति टिप) | ५०० | |
| ७ | चुन तथा कमेरो | मिनि ट्रक तथा ट्याक्टर (प्रति टिप) | ३०० | |

यस आर्थिक ऐनको अनुसुचि भित्र समावेश नभएका सेवा शुल्क तथा करका दरहरु संघीय, प्रदेश, स्थानिय कानून अनुसार हुनेछन ।

आज्ञाले
गणेश राम पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत